



अन्तिम डिक्री मुकदमा इबादाई
(आर्डर 20 रूल्स 6-7 जाया दीशनी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा
बइजलास - श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.)



मि० नं० / 2022 दावा / बउनवान / डालीबाई वगैरा / राज्य सरकार

1. डालीबाई पुत्री श्री छीतरलाल जाति किराड निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद,
2. चमेलीबाई पुत्री श्री छीतरलाल जाति किराड निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद,
3. रामचन्दीबाई पत्नी श्री छीतरलाल जाति किराड निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद। -वादीगण-

-बनाम-

राज्य सरकार जर्गे लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

-प्रतिवादी-

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 आर० टी० एक्ट,

मि.नं. / 2022

तारीख फौसला दिनांक 12.07.2022 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु बहाजरी वादीगण मिनजानिव मुदई रुबरु
परोकार सरकार मिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ... दावा वादीगण स्वीकार
कर आदेश पारित किये जाते हैं कि माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा
में स्थित खसरा नंबर 740 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नंबर 750 रकबा 0.10 हैक्टर,
खसरा नंबर 753 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नंबर 755/976 रकबा 0.15 हैक्टर कुल
किता 4 की कुल 0.54 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी कं. 1, 2 के पिता व
वादी कं. 3 के पति के अंकित नाम 'रत्या' के स्थान पर 'रत्तिलाल उर्फ छीतरलाल'
अंकित किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज _____ गुबलिंग _____ बाबत _____ खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह _____ फीसदी
सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक _____ का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख
12.07.2022 को जारी की गई।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सुपखण्ड अधिकारी
सांगोद, सांगोद - कोटा

मुदई	रुपया	पैसे	मुददायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वर्जह संवृत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिफ		
मुतफरिफ					
मीजान			मीजान		



उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सुपखण्ड अधिकारी
सांगोद, सांगोद - कोटा

प्रमाणित प्रतिलिपि

सुपखण्ड अधिकारी, सांगोद

दस्ता

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद, कोटा

क्रमांक- २०२२/५१२

दिनांक- २.८.२२

तहसीलदार,

तहसील सांगोद।


विषय- इजराय संख्या ६१/२०२२ उनवान डालीबाई बनाम
राज्य सरकार मुताबिक निर्णय पालना बाबत।

परोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मिसल नं० ८१/२०२२ उनवान डालीबाई
नाम राज्य सरकार के न्यायालय में दिनांक १२/७/२२ को
निर्णय-डिक्री पारित किया जा चुका है। पत्र के साथ पुनः निर्णय डिक्री की छाया प्रति
भेजवायी जा रही है। अतः प्रकरण में मुताबिक निर्णय (अगर किसी अन्य उच्च न्यायालय से
अपगन आदेश न हो) आगामी तारीख पेशी दिनांक १९.९.२२ से पूर्व पालना करना
निश्चित करें।

लगा-

निर्णय-डिक्री की छाया प्रति

सांगोद


उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा
उपखण्ड अधिकारी

सांगोद

कार्यालय तहसीलदार (भू0 अभि0) सांगोद जिला कोटा

क्रमांक/LR/2023/831

दिनांक-20/03/23

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
सांगोद।

विषय:- न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र0 सं0.....2022
उनवान.....डालीकरी + राजसरकार.....में जारी डिक्री दिनांक.
.....21/12/22की पालना में ग्राम.....लखीपुरा.....में नामान्तरकरण सं.....850
दिनांक.....29/8/22को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी
है। नकल जमाबंदी संलग्न है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।



तहसीलदार (भू0 अभि0)
तहसील सांगोद जिला कोटा

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

लक्ष्मीपुरा
कुराडियाखुर्द
सांगोद
गोद

सम्बत :- 2073 - 2076

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 133

खाता संख्या पुराना :- 186

नाम:-
ई पुत्री बद्रीलाल हिस्सा- 1/8 जाति- किराड सा. देह खातेदार
ई पुत्री रत्तीलाल उर्फ छीतरलाल हिस्सा- 1/12 जाति- किराड सा. देह खातेदार
ई पुत्री रत्तीलाल उर्फ छीतरलाल हिस्सा- 1/12 जाति- किराड सा. देह खातेदार
पुत्री बद्रीलाल हिस्सा- 1/8 जाति- किराड सा. देह खातेदार
पत्नि स्व. बद्रीलाल हिस्सा- 1/8 जाति- किराड सा. देह खातेदार
ई पुत्री बद्रीलाल हिस्सा- 1/8 जाति- किराड सा. देह खातेदार
याण पुत्र गोपाल हिस्सा- 1/4 जाति- किराड सा. देह खातेदार
ई बाई पत्नि स्व. रत्तीलाल उर्फ छीतरलाल हिस्सा- 1/12 जाति- किराड सा. देह खातेदार,

क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
0.1200	चाही प्रथम	0.1200	3.96	स्वीकृत नामान्तरकरण : 769 20/07/2021 विरासत स्वीकृत नामान्तरकरण : 850 29/08/2022 न्याया. आदेश स्वीकृत नामान्तरकरण : 881 20/02/2023 बेचान	
0.1200		0.1200	3.9600		

प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।